प्रेस नोट **दिनांक 08.04.2026**

01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल निर्देशन में थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व जरिये मुखबिर की सूचना पर जमीन सरहरा से मु0अ0स0 43/26 धारा 75(2), 115(2), 351(2) से संबंधित अभियुक्त मुलायम उर्फ अनिल यादव पुत्र दिलाप यादव निवासी सरहरा जमीन सरहरा को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया

अभियोग का विवरण

1. मु0अ0सं0 43/2026 धारा 75(2)/115(2)/351(3) बीएनएस व 7/8 पॉक्सो एक्ट थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।

नाम पता गिरफ्तारसुदा अभियुक्त-

1. मुलायम उर्फ अनिल यादव पुत्र दिलीप यादव निवासी सरहरा जमीन सरहरा थाना दोहरीघाट जनपद मऊ

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 सन्तोष कुमार थाना दोहरीघाट जनपद मऊ
2. हे0का0 विनय यादव थाना दोहरीघाट जनपद मऊ

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में आज दिनांक 08.04.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया-

इस अभियान के दौरान यातायात पुलिस एवं जनपद के समस्त थानो द्वारा संयुक्त रूप से वाहन चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, ओवरलोडिंग, बिना वैध कागजात, नाबालिगों द्वारा वाहन संचालन एवं अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चेकिंग की गयी।

अभियान के अंतर्गत 40 स्थानों पर, 44 टीम गठित कर लगभग 4000 व्यक्तियों सहित कुल 963 वाहनो को चेक किया गया जिसमें कुल 229 वाहनों का चालान एवं 02 वाहन सीज किया गया तथा हिदायत दी गयी साथ ही यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।

अंजान व्यक्ति द्वारा गेहू काटने की मशीन चलाने के नाम पर फ्रॉड किये गये 15,000/- (पन्द्रह हजार) रुपये थाना सरायलखन्सी साइबर पुलिस टीम द्वारा कराया गया वापस -

साइबर अपराध के माध्यम से ठगी गई धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही करने के परिप्रेक्ष्य से चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ महोदय के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक के महोदय तथा क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम पुलिस थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ के टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुये अंजान व्यक्ति द्वारा गेहू काटने की मशीन चलाने के नाम पर फ्रॉड किये गये 15,000/- (पन्द्रह हजार) रुयपये पीडित आकाश कुमार सिंह पुत्र श्री योगेश सिंहस निवासी ताजोपुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ की कुल 15,000 रूपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक परिश्रम कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चधिकारियों व साइबर क्राइम पुलिस थाना सरायलखन्सी के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया ।साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

1. आपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में प्रदेश स्तर का चिन्हित माफिया व जिले का टाप टेन अपराधी, आईआर गैंग लीडर न0 212 तथा हिस्ट्रीशीटर न0 34(ए) अपराधी रमेश सिंह उर्फ काका को 06 माह कारावास व 10,000 रुपये अर्थ दण्ड -

पुलिस अधीक्ष मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरान्त मा0 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट मऊ द्वारा दिनांक 08-04-2026 को मु0अ0सं0

1848/2011 धारा 353, 506 भादवी थाना कोतवाली जनपद मे दोषसिद्ध प्रदेश स्तर का माफिया व टाप टेन अपराधी, आईआर गैंग लीडर न0 212 तथा हिस्ट्रीशीटर न0 34(ए) जिले का हिस्ट्रीशीटर रमेश सिंह उर्फ़ काका पुत्र रामबृक्ष सिंह निवासी कैथोली थाना सरायलखनसी जनपद मऊ को उक्त अपराध मे 06 माह का कारावास की व ₹10,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया अर्थ दण्ड न देने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जायेगा।

उक्त अपराधी के विरुद्ध विभिन्न जनपदो् व थानों में कुल 73 मुकदमें पंजीकृत है जिसमें पूर्व में कई मुकदमों में इसे सजा हो चुकी है।

सजा कराये जाने में अभियोजन अधिकारी श्री हरेन्द्र सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री आरआर यादव तथा न्यायालय पैरोकार हे0 का0 विनोद चौरसिया का सराहनीय योगदान रहा।

2. ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के मा0 न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड कोर्ट, जनपद मऊ द्वारा दिनांक 08-04-2026 को मु0अ0सं0 67/2022 धारा 323, 506, 504, 427 भादवी थाना मधुबन जनपद मे दोषसिद्ध अभियुक्त राजू पुत्र रामभरन निवासी कमना थाना मधुवन जनपद मऊ को उक्त कारित अपराध के लिए भरत्सना के दण्ड से दण्डित किया गया।

3. मु0अ0सं0 387/2020 धारा 323, 506, 504 भादवी थाना घोसी में दोषसिद्ध अभियुक्त विमल चौहान पुत्र रामसोंच चौहान निवासी कलाफ़नपुर थाना घोसी जनपद मऊ को उक्त कारित अपराध के भरत्सना के दण्ड से दण्डित किया गया।

आपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में 02 दोषसिद्ध अभियुक्तों को जेल में बिताई गई अवधि व 4000 रुपये अर्थ दण्ड -

पुलिस अधीक्ष मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरान्त मा0 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट, जनपद मऊ द्वारा दिनांक 08-04-2026 को मु0अ0सं0 12/2026 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ मे दोषसिद्ध अभियुक्तों डब्लू खरवार पुत्र सुखारी खरवार निवासी पिपरीडीह थाना सरायलखंसी जनपद मऊ 2. सुनील विश्वकर्मा पुत्र स्वर्गीय नाथू विश्वकर्मा निवासी मुबारकपुर अमिलो थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

को उक्त अपराध मे जेल में विताई गयी अवधि व 4000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया अर्थ दण्ड न देने पर 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जायेगा।